हिमाचल प्रदेश सरकार
"निर्वाचन विभाग"

# प्रेस नोट

## लोक सभा निर्वाचन–2014 – प्रमुख विशेषताएं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सभा के साधारण निर्वाचन–2014 के कार्यक्रम की घोषणा 5 मार्च, 2014 को कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य में उक्त निर्वाचन हेतु प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:–

## 1 लोक सभा निर्वाचन कार्यक्रम:

| | |
|---|---|
| 1. अधिसूचना जारी करने की तारीख | 12 अप्रैल, 2014 ( शनिवार ) |
| 2. नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख | 19 अप्रैल, 2014 ( शनिवार ) |
| 3. नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 21 अप्रैल, 2014 ( सोमवार ) |
| 4. अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तारीख | 23 अप्रैल, 2014 ( बुधवार ) |
| 5. मतदान की तारीख | 7 मई, 2014 ( बुधवार ) |
| 6. मतगणना की तारीख | 16 मई, 2014 ( शुक्रवार ) |
| 7. निर्वाचन प्रकिया की सम्पन्नता की तारीख | 28 मई, 2014 ( बुधवार ) |

## 2. लोक सभा निर्वाचन के लिए मतदाता:

हिमाचल प्रदेश लोक सभा निर्वाचन के लिए फोटो मतदाता सूचियों को प्रथम जनवरी, 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 6.1.2014 को अन्तिम प्रकाशन किया गया है, से है :–

| राज्य का नाम | सामान्य मतदाता | | | सेवा अर्हता मतदाता | | | कुल मतदाता (सामान्य एवं सेवा अर्हता) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | महिला | कुल | पुरूष | महिला | कुल | पुरूष | महिला | कुल |
| हिमाचल प्रदेश | 2390117 | 2284070 | 4674187 | 51045 | 14812 | 65857 | 2441162 | 2298882 | 4740044 |

**हिमाचल प्रदेश में 18–19 वर्ष के मतदाता:**

| राज्य का नाम | सामान्य मतदाता | | |
|---|---|---|---|
| | पुरूष | महिला | कुल |
| हिमाचल प्रदेश | 36621 | 25512 | 62133 |

## 3. इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने :

भारत निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार उपरोक्त निर्वाचन में समस्त मतदान केन्द्रों पर इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (EVMs post 2006) प्रयुक्त की जायेंगी। उक्त निर्वाचनों हेतु इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं इन निर्वाचनों की निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने हेतु आवश्यक पग उठाये गये हैं। इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की First Level Checking (FLC) सम्पन्न कर ली गई है।

## 4. नियन्त्रण कक्ष :

निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर निर्वाचनों के सुचारू रूप से संचालनार्थ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिसके दूरभाष नम्बर निम्न प्रकार से है:–

**0177–2629799 जन साधारण हेतु**

**0177–2629795 मीडिया हेतु**

निर्वाचन विभाग मुख्यालय पर ही काल सेन्टर टोल–फ्री नम्बर **1950** भी स्थापित किया गया है।

## 5 रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर व मतदान केन्द्रः–

- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र–वार विवरण निम्न प्रकार से है:–

| क्रम संख्या | संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नं0 व नाम | मतदान केन्द्रों की संख्या | रिटर्निंग आफिसर की संख्या | सहायक रिटर्निंग आफिसरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–कांगड़ा | 1795 | 1 | 17 |
| 2 | 2–मण्डी | 1985 | 1 | 31 |
| 3 | 3–हमीरपुर | 1680 | 1 | 16 |
| 4 | 4–शिमला(अ0जा0) | 1922 | 1 | 19 |
| | कुल – | **7382** | **4** | **83** |

- मतदान केन्द्रों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

| राज्य का नाम | मतदान केन्द्रों की संख्या | शहरी मतदान केन्द्रों की संख्या | ग्रामीण मतदान केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 7382 | 527 | 6855 |

## 6 मतदान कर्मियों की नियुक्तिः

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी कर्मी को लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा खण्ड में निम्नानुसार नियुक्त नहीं किया जायेगा :–

1. जहां वह कार्यरत्त है,
2. जहां वह निवास करता है,
3. उसकी गृह विधान सभा क्षेत्र।

मतदान दलों की संरचना निर्वाचन आयोग द्वारा विहित यादृच्छिीकरण साफ्टवेयर (Randomization Software) द्वारा की जायेंगी। उक्त साफ्टवेयर सम्बन्धित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रदाय किया जा चुका है।

मतदान दलों की मानक संरचना के अनुरूप 1 पीठासीन अधिकारी + 3 मतदान कर्मी नियुक्त किये जायेंगे।

## 7 आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct):

निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा साधारण निर्वाचन–2014 के कार्यक्रम की घोषणा 5 मार्च, 2014 को किये जाने के परिणामस्वरूप आदर्श आचार संहिता तत्काल से लागू हो गई है। मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किए जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे; और

(ख) (सिवाए सिविल कर्मचारियों के) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे; और

(ग) सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधाएं आदि देनें का कोई वचन नहीं देंगे; और

(घ) शासन सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए; आदि

## 8 निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तन्त्र (Election Expenditure Monitoring Mechanism)

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तन्त्र के अन्तर्गत निर्वाचन व्ययों पर अंकुश लगाने व निगरानी हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर व रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर स्तर पर विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन किया जा रहा है। आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा निर्वाचन 2014 को सुचारू पर से संचालन हेतु 15 किस्म के कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी लगाये जा चुके हैं।

## 9 फोटोयुक्त मतदाता सूचियां :

- हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक सभा निर्वाचन, 2014 के संचालनार्थ फोटोयुक्त मतदाता सूचियां प्रयुक्त होंगी।
- फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम के साथ अन्य प्रविष्टियां यथा पितृत्व, आयु, लिंग तथा मतदाता का फोटो भी मुद्रित हैं।
- मतदाता सूचियां शत–प्रतिशत फोटोयुक्त हैं। विधान सभा क्षेत्रवार मतदाता सूचियां विभाग की वैबसाइट www.ceohimachal.nic.in पर Electoral Rolls (PDF FILES) नामक लिंक पर उपलब्ध है।

## 10 मतदाताओं के पहचान पत्रः

- लोक सभा निर्वाचन में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता की पहचान हेतु जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र हैं उन्हें पहचान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।

## 11 निर्वाचन आयोग के विभिन्न निर्देश :

1. इस लोक सभा निर्वाचन में पहली बार नोटा (NOTA) का प्रयोग किया जायेगा ताकि कोई भी उम्मीदवार पसन्द न आने की स्थिति में मतदाता (Voter) NOTA ( इनमें से कोई नहीं) को चुन सके।
2. निर्वाचन संचालन प्रक्रिया के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किये हैं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
3. विज्ञापनों/ इश्तहारों तथा प्रर्दशन पट्ट (Banner) जिनकें द्वारा सरकार/सतारूढ़ दल की उपलब्धियां दर्शाई गई हों उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु भी निर्देश जारी किये जा रहें हैं।
4. प्लास्टिक शीट के पोस्टर/ प्रर्दशन पट्ट (Banner) का प्रयोग न करने हेतु भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी किये हैं क्योंकि इनके प्रयोग से पर्यावरण दूषित होता है।

नरेन्द्र चौहान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।

**पृष्ठांकन संख्या 3–5/2014–ई0एल0एन0** **दिनांक:शिमला–171009 5 मार्च, 2014.**

**प्रतिलिपि प्रेषित है :–**

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002,
2. प्रधान सचिव(गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002,
3. मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002,
4. पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002,
5. निदेशक, सूचना एवम् जनसम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002, } को व्यापक प्रचार हेतु।
6. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र, शिमला–4. }
7. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त), हिमाचल प्रदेश।
8. रिटर्निंग अफिसर, कांगड़ा/मण्डी/हमीरपुर/शिमला।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हिमाचल प्रदेश।

## Himachal Pradesh

| **Schedule Reference** | | **Parliamentary Constituency** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schedule No. | 8 | Sr. No. | PC No. | PC Name | Type |
| No. of PCs going to poll | 4 | 1 | 1 | Kangra | Gen |
| Issue of Notification | 12 April,2014(Sat) | 2 | 2 | Mandi | Gen |
| Last Date for filing Nominations | 19 April, 2014 (Sat) | 3 | 3 | Hamirpur | Gen |
| Scrutiny for Nominations | 21 April,2014(Mon) | 4 | 4 | Shimla | SC |
| Last date for withdrawal of candidature | 23 April,2014(Wed) | | | | |
| **Date of Poll** | **7th May, 2014(Wed)** | | | | |
| **Counting of Votes** | **16th May, 2014(Fri)** | | | | |
| Date before which the election shall be completed | 28th May, 2014(Wed) | | | | |